Home Science (M.A.)
Explore–Journal of Research
Peer Reviewed Journal
ISSN 2278 – 0297 **(Print)**
ISSN 2278 – 6414 **(Online)**
© Patna Women's College, Patna, India
https://www.patnawomenscollege.in/journal

पटना जिले में विवाह के प्रति युवाओं के दृष्टिकोण एवं धारणा पर एक अध्ययन

• शिवानी कुमारी • मीनाक्षी कश्यप • माला कुमारी
• निशा कुमारी

Received : December, 2021
Accepted : January, 2022
Corresponding Author : Nisha Kumari

Abstract: *विवाह जिसे शादी भी कहा जाता है दो लोगों के बीच एक सामाजिक व धार्मिक मान्यता प्राप्त मिलन है जो उन लोगों के बीच साथ ही उनके और किसी भी परिणामी जैविक या दत्तक बच्चों तथा सम्बन्धियों के बीच अधिकारों और दायित्वों को स्थापित करता है। इस अध्ययन का उद्देश्य विवाह के प्रति युवाओं के दृष्टिकोण का विश्लेषण करना तथा जीवनसाथी के चयन में युवाओं की बदलती धारणा का आकलन करना था। अध्ययन की प्रणाली में पटना विश्वविद्यालय में पढ़ रहे (18–25) वर्ष के युवक एवं युवतियों पर सर्वेक्षण किया। इसमें चार कॉलेजो, मगध महिला कॉलेज, पटना वीमेंस कॉलेज, साइंस कॉलेज, पटना कॉलेजो में शिक्षा ग्रहण कर रहे 100 युवाओं पर यह सर्वेक्षण किया इसमें तथ्यों का आकलन छात्रों से पूछे गए प्रश्नावली, साक्षात्कार, सहभागी अवलोकन के आधार पर किया गया और इसका सांख्यिकी विश्लेशण विवरणात्मक और अनुमानात्मक विश्लेषण पद्धति द्वारा किया गया। और इस सर्वेक्षण का निष्कर्ष यह आया कि युवाओं को विवाह करने से पहले अपने से बड़े या अभिभावक की राय अवश्य जाननी चाहिए। 96 प्रतिशत उत्तरदाता के अनुसार शादी से पहले युवाओं ने भी यही माना कि बस सेक्स ही प्यार के बंधन को मजबूत नहीं बनाता बल्कि अगर प्यार हो तो सब कुछ अच्छा हो जाता है।*

संकेत–शब्द *(Keywords) :* *विवाह, युवाओं, जीवन साथी, अधिकार, परिवार।*

शिवानी कुमारी
M.A. II year, Home Science, Session: 2020-2022,
Patna Women's College (Autonomous),
Patna University, Patna, Bihar, India

मीनाक्षी कश्यप
M.A. II year, Home Science, Session: 2020-2022,
Patna Women's College (Autonomous),
Patna University, Patna, Bihar, India

माला कुमारी
M.A. II year, Home Science, Session: 2020-2022,
Patna Women's College (Autonomous),
Patna University, Patna, Bihar, India

निशा कुमारी
असिस्टेंट प्रोफेसर, गृह विज्ञान विभाग
पटना वीमेन्स कॉलेज, पटना विश्वविद्यालय,
बेली रोड, पटना–800 001, बिहार, भारत
E-mail : nisharoshan4195@gmail.com

परिचय :

विवाह की परिभाषा ना केवल संस्कृतियों और धर्मों के बीच, बल्कि किसी भी संस्कृति और धर्म के इतिहास में दुनियाभर में बदलती है। आमतौर पर, यह मुख्य रूप से एक संस्था है जिसमें पारस्परिक संबंध, आमतौर पर यौन, स्वीकार किए जाते हैं संस्वीकृत होते हैं। (जैन शोभिता, 1996)

जैसे–जैसे विवाह और पारिवारिक जीवन के मापदंड और मुल्य बदलते हैं, वैसे ही भारतीय युवा भी अब अपने जीवन में देर से शादी कर रहा है। एक दशक पहले की तुलना में युवा अब एक उम्र के बाद शादी कर रहे हैं। 2016 और 2017 में लोकनीति–सी एस डी एस युवा अध्ययन से पता चलता है कि विवाहित युवाओं का अनुपात 2007 में 55 प्रतिशत से घटकर 2016 में 47 प्रतिशत हो गया है। तब से यह अनुपात लगातार घट रहा है।

विवाह पर राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (National Family Health Survey) NFHS 5 (2019-2020) तक के डाटा के अनुसार बिहार राज्य के 20–24 वर्ष तक की आयु के महिलाओं की शादी शहरी क्षेत्र में 27.9 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्र में 54.5 प्रतिशत और पूरा मिलाकर 57.8 प्रतिशत हो रहा हैं और वहीं बिहार राज्य के 25–29 वर्ष तक के आयु के पुरूषों की शादी शहरी क्षेत्र में 18.3 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्र में 34.3 प्रतिशत और पूरा मिलकर 30.5 प्रतिशत हो रहा है।

विवाह करने का मुख्य कारण सामाजिक तौर पर यौन संतुष्टि और विनियमन, व्यक्तिगत जरूरतों के प्रति स्नेह को पूरा करना है। इन सबके साथ इसका महत्वपूर्ण कार्य प्रजनन और बच्चों की देखभाल और उनकी शिक्षा और समाजीकरण और वंश की रेखाओं के विनियमन से संबंधित है। पर आजकल के युवाओं में विवाह को लेकर बहुत से बदलाव देखने को मिलते हैं।जैसे पहले आमतौर पर (23 –24) वर्ष की उम्र में लड़कों की शादी हो जाती थी। वही लड़कियों की शादी भी ज्यादा से ज्यादा (20 – 22) वर्ष तक कर दी जाती थी। पहले युवाओं में शादी को लेकर उत्सुकता और उत्साह का भाव देखा जाता था। ज्यादातर शादियाँ परिवार वाले ही तय करते थे। ऐसे मामले बहुत ही कम होते थे जब किसी ने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी कर ली हो। लेकिन कुछ समय से शादी को लेकर युवाओं की मानसिकता में भारी बदलाव देखने को मिल रहा है। भारत में, एक धार्मिक–वैवाहिक समारोह को कानूनी विवाह माना जाता है। लेकिन अब अधिकांश भारतीय राज्यों में विवाह का पंजीकरण आवश्यक है। हिंदू धर्म, इस्लाम, ईसाई और अन्य विवाह अधिनियम में लिखे गए विभिन्न धर्मों के लिए अलग–अलग नियम और कानून है। बाल विवाह निषेध अधिनियम के अनुसार, भारत में एक लड़की की शादी 18 साल से पहले और लड़के की 21 साल से पहले नहीं हो सकती है। लेकिन वही नये अधिनियम के तहत अब लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल हो गई है (Kanak.Y, Rakhee, 2018) ।

शादी के बदलते चलनः–भारत में विवाह के बदलते चलन में काफी बदलाव आया हैं। प्राचीन काल में माता–पिता अपने बच्चों के लिए जीवनसाथी की तलाश करते थें और विवाह को औपचारिक रूप से रीति–रिवाज के साथ विवाह सम्पन्न करवाते थे। पर आधुनिक युग में युवा अपना पार्टनर खुद चुन रहे हैं। पहले लड़के और लड़कियों को शादी से पहले मिलने नहीं दिया जाता था। लेकिन बदलते समय ने समाज में मौजूद विवाह प्रवृतियों को बहुत प्रभावित किया है। आधुनिक रूप से हम देखते हैं कि युवा विवाह में बदलते रूझानों जैसे प्रेम विवाह, अंतर्जातिय विवाह, समलैंगिक उभलिंगी ट्रांसजेंडर विवाह आदि को महत्त्व देते है। (Bhavana.N., Roopa.K.S., 2013)

अध्ययन का उद्देश्यः–विवाह परिवार के दो व्यक्तियों के बंधन की सामाजिक संस्था है यह वह रिश्ता है जो भारतीय संस्कृति में युगल को सामाजिक सांस्कृतिक और धार्मिक स्वीकृति देता है। परिवार की प्रजनन प्रक्रिया के लिए विवाह आवश्यक है। भारतीय समाज में सुसंगत विवाह का बहुत महत्व है। जबकि अंतरजातीय धार्मिक विवाह को खुलेतौर पर हतोत्साहित किया जाता है। वर्तमान परिदृश्य में आधुनिकीकरण और शैक्षिक स्तर में वृद्धि के साथ विवाह के प्रति दृष्टिकोण समय के साथ बदल गया है।

व्यक्तिगत भलाई उसके जीवन में रिश्तों की सफलता पर निर्भर है। विवाह मुख्य संबंध है जिसे आमतौर पर आजीवन बंधन के रूप में देखा जाता है। सामाजिक परिदृश्य में प्रौद्योगिकी परिवर्तन में अधिक प्रगति ने सभी आयु समूहों के व्यवहार परिवर्तन को प्रभावित किया । माता पिता बच्चों के फैसले को स्वीकार करने लगे हैं।

युवा वयस्कों को अधिकार है कि वह अपने अनुसार जीवन व्यतीत कर सकते हैं। अधिक सोशल नेटवर्क एक्स्पोज़र के कारण रोमांटिक रिश्तो में वृद्धि हुई है। जिसका युवाओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। विवाह के बारे में बदलते विचारों का पता लगाने के लिए युवाओं के दृष्टिकोण को समझना आवश्यक है। यह अध्ययन वयस्कों के विवाह के प्रति दृष्टिकोण को संसाधन पूर्ण डेटा प्रदान करेगा।

उद्देश्यः

1. विवाह के प्रति युवाओं के दृष्टिकोण का विश्लेषण करने के लिए।
2. जीवनसाथी के चयन में युवाओं की बदलती धारणा का आंकलन करने के लिए।

परिकल्पनाः

1. युवाओं का विवाह के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण होगा।
2. युवाओं में जीवन साथी के चयन की प्रमुख विशेषता सरकारी नौकरी और शहरी पृष्ठभूमि होगी।

अध्ययन की प्रणालीः—इस अध्ययन में पटना विश्वविद्यालय में पढ़ रहे (18—25) वर्ष के युवक और युवतियों से जानकारी प्राप्त की गई है। इस अध्ययन में मुख्य रूप से मगध महिला कॉलेज, पटना वीमेंस कॉलेज, साइंस कॉलेज और पटना कॉलेजों में शिक्षा ग्रहण कर रहे 100 युवाओं को सर्वेक्षण का हिस्सा बनाया गया। ऑकड़ों का संकलन छात्रों से पूछे गए प्रश्नावली साक्षात्कार सहभागी अवलोकन के आधार पर किया गया। और ऑकड़ों का विश्लेषण विवरणात्मक और अनुमानात्मक विश्लेषण पद्धति द्वारा किया गया। और परिणाम—प्रदर्शन के लिए प्रतिशत का प्रयोग किया गया। विन्डोज (एस०पी०एस०एस०) 20 के लिए सामाजिक विज्ञान संस्करण 20 सांख्यिकीय पैकेज का उपयोग डाटा का विश्लेषण करने के लिए किया गया।

तालिका 1. उत्तरदाताओं की पृष्ठभुमि

व्यक्तिगत (सं०—100)	प्रतिशत
उम्र वर्ष में	
18—20	56
21—22	21
23—24	17
25 ज्यादा	6
लिंग	
महिल	35
पुरूष	65
शैक्षणिक योग्यता	
12वीं पास	31
स्नातक	49
स्नातकोत्तर	17
अन्य शिक्षा	3
परिवार का प्रकार	
एकल	41
संयुक्त	59
रिलेशनशिप स्टेटस	
अविवाहित	83
विवाहित	3
सगाई	6
प्रतिबद्ध	8

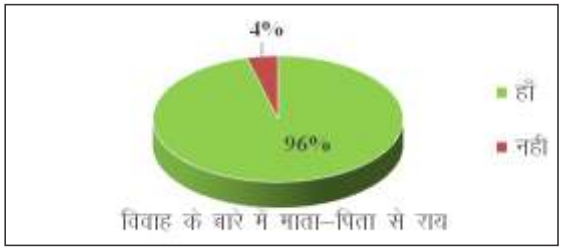

उपर्युक्त तालिका के अनुसार उत्तरदाताओं का आयु वर्ग 56 प्रतिशत 18—20 वर्ष, 21 प्रतिशत 21—22 वर्ष, 17 प्रतिशत 23—24 वर्ष और 6 प्रतिशत 25 वर्ष से ज्यादा उम्र के युवा थे। 35 प्रतिशत महिला और 65 प्रतिशत पुरूषों ने इस शोध कार्य में भाग लिया। 31 प्रतिशत युवा 12वीं पास थे, 49 प्रतिशत युवा स्नातक थे, 17 प्रतिशत युवा स्नातकोत्तर थे और 3 प्रतिशत युवा की कोई अन्य शिक्षा थी। 41 प्रतिशत लोग एकल परिवार में रहते थे, तथा 59 प्रतिशत युवा संयुक्त परिवार में रहते थे। 83 प्रतिशत युवा अविवाहित थे वही 3 प्रतिशत युवा विवाहित थे, और 6 प्रतिशत युवा जिनकी सगाई हो चुकी थी तथा 8 प्रतिशत युवा प्रतिबद्ध थे।

तालिका 2. उत्तरदाताओं के विवाह के प्रति माता—पिता की राय

माता पिता की राय	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ	96	96:
नही	4	4:
कुल	100	100

उपर्युक्त सारणी के आधार पर सभी उत्तरदाता के प्रश्नावली का जवाब अलग—अलग था। 96 प्रतिशत युवाओं ने यह माना की उनका विवाह करने से पहले अपने माता पिता की राय अवश्य लेनी चाहिए। 4 प्रतिशत युवाओं ने यह माना की विवाह करने से पहले माँ—बाप की राय नहीं लेनी चाहिए।

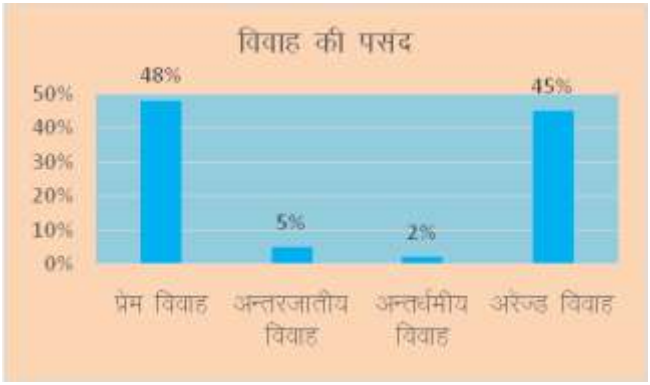

आकृति 1. उत्तरदाताओं के विवाह की पसंद

तालिका 3. उत्तरदाताओं के विवाह की पसंद

विवाह की पसंद	आवृत्ति	प्रतिशत
प्रेम विवाह	48	48:
अन्तरजातीय विवाह	5	5:
अन्तर्धमीय विवाह	2	2:
अरेंज्ड विवाह	45	45:
कुल	100	100

तालिका 3 के अनुसार सभी उत्तरदाता के प्रश्नावली का जवाब अलग–अलग था। 48 प्रतिशत युवाओं ने यह माना की प्रेम विवाह उनके लिए सही हैं। 5 प्रतिशत युवाओं ने यह माना की अर्न्तजातीय विवाह उनके अनुसार सही है। 2 प्रतिशत युवाओं ने यह माना की अन्तर्धमीय विवाह उनके लिए सही है। 45 प्रतिशत युवाओं ने यह माना की अरेंज्ड विवाह उनके लिए सही है।

तालिका 4. उत्तरदाताओं के भावी पार्टनर की उम्र

		आवृत्ति	प्रतिशत
आपके पार्टनर की उम्र क्या होनी चाहिए	समकक्ष आयु	55	55:
	आप से कम आयु	27	27:
	आपसे ज्यादा आयु	18	18:
कुल		100	100

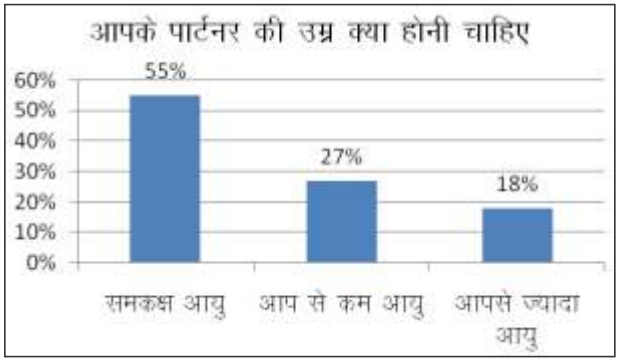

आकृति 2. उत्तरदाताओं के भावी पार्टनर की उम्र

उपर्युक्त तालिका के आधार पर 55 प्रतिशत युवा समकक्ष आयु का साथी चाहते हैं। 27 प्रतिशत युवा अपने से कम उम्र का साथी चाहते हैं 18 प्रतिशत अपने से ज्यादा उम्र के साथी चाहते हैं।

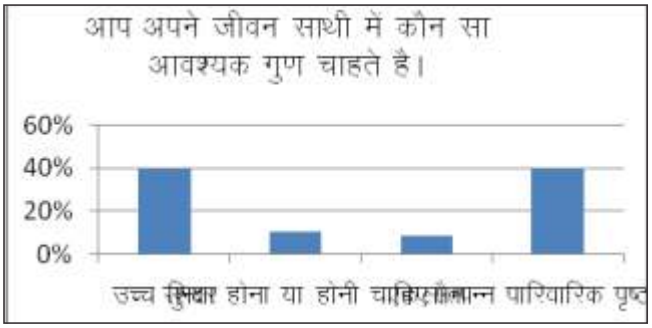

आकृति 3. उत्तरदाताओं के भावी जीवनसाथी का चयन करते समय आवश्यक गुण

तालिका 5. उत्तरदाताओं के भावी जीवनसाथी का चयन करते समय आवश्यक गुण

		आवृत्ति	प्रतिशत
आप अपने जीवन साथी में कौन सा आवश्यक गुण चाहते है।	उच्च शिक्षा	40	40:
	सुन्दर होना या होनी चाहिए	11	11:
	एकलौता	9	9:
	सम्पन्न पारिवारिक पृष्ठभूमि	40	40:
कुल		100	100

तालिका 5 के अनुसार 40 प्रतिशत युवाओं का मानना था की जीवन साथी में आवश्यक गुण उच्च शिक्षा होनी चाहिए। 11 प्रतिशत युवाओं का मानना था कि उनका पार्टनर सुन्दर होना या होनी चाहिए। 9 प्रतिशत का कहना था की एकलौता होना चाहिए। 40 प्रतिशत का मानना था की सम्पन्न पारिवारिक पृष्ठभूमि वाला होना/होनी चाहिए।

आकृति 4. उत्तरदाताओं का विवाह के पूर्व करियर के प्रति नजरिया

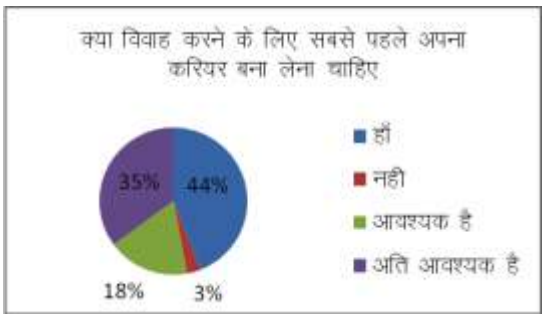

तालिका 6. उत्तरदाताओं का विवाह के पूर्व केरियर के प्रति नजरिया

		आवृत्ति	प्रतिशत
क्या विवाह करने के लिए सबसे पहले अपना करियर बना लेना चाहिए।	हाँ	44	44:
	नही	3	3:
	आवश्यक है	18	18:
	अति आवश्यक है	35	35:
कुल		100	100

तालिका 6 के अनुसार 44 प्रतिशत युवा ने कहा कि शादी से पहले अपने करियर बना लेनी चाहिए। 3 प्रतिशत ने नहीं में जवाब दिया। 18 प्रतिशत युवा के लिए यह आवश्यक है कि वे विवाह से पहले अपने करियर बना लें। और 35 प्रतिशत युवा ने यह कहा कि विवाह से पहले करियर बनाना अति आवश्यक है।

शून्य परिकल्पना:– शादी की गुणवत्ता के संबंध में साथी के पसंद की उम्र के बीच कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है।

वैकल्पिक परिकल्पनाः– साथी की गुणवत्ता के संबंध में विवाह के आयु में कुछ अंतर होता है।

स्तर का महत्व–5 प्रतिशत

Column and Row Totals						
	Beautiful	Higher Education	Rich Family Background	Single Child		Row Totals
18-20	1	1	1	1		4
20-22	2	2	1	1		6
22-24	2	7	6	2		17
24-25	1	12	15	2		30
Above 25	5	18	17	3		43
Column Totals	11	40	40	9		100 (Grand Total)

Results						
	Beautiful	Higher Education	Rich Family Background	Single Child		Row Totals
18-20	1 (0.44) [0.71]	1 (1.60) [0.23]	1 (1.60) [0.23]	1 (0.36) [1.14]		4
20-22	2 (0.66) [2.72]	2 (2.40) [0.07]	1 (2.40) [0.82]	1 (0.54) [0.39]		6
22-24	2 (1.87) [0.01]	7 (6.80) [0.01]	6 (6.80) [0.09]	2 (1.53) [0.14]		17
24-25	1 (3.30) [1.60]	12 (12.00) [0.00]	15 (12.00) [0.75]	2 (2.70) [0.18]		30
Above 25	5 (4.73) [0.02]	18 (17.20) [0.04]	17 (17.20) [0.00]	3 (3.87) [0.20]		43
Column Totals	11	40	40	9		100 (Grand Total)

काई स्क्वायर आँकड़ा 9.3348 हैं। च–मान .674103 है। अतः परिणाम सार्थक नहीं है।

निष्कर्षः– शून्य परिकल्पना को स्वीकार किया जा सकता है।

निष्कर्षः

- हमारे सर्वेक्षण के अनुसार और एस०एम०होस्नी, जेड अब रहमान (2012) के अुनसार विवाह के लिए प्रेम का होना आवश्यक है। और हमारे उत्तरदाताओं के अनुसार भी 48 प्रतिशत युवक–युवती प्रेम विवाह ही करना चाहते हैं।
- सारांश के तौर पर सर्वेक्षण में पाया गया की 10 प्रतिशत युवाओं ने यह माना की वंश वृद्धि के लिए भी विवाह करना चाहिए। और वही न्यु गिनी के ट्रोबिएंड द्वीपवासी सर्वेक्षण में भी बताया की बच्चों के पालन –पोषण व वंश वृद्धि के लिए विवाह आवश्यक है।
- डॉ मालिनोवस्की के सर्वेक्षण के निष्कर्ष के आधार पर उन्होंने यह माना की विवाह की पहचान केवल यौन विनियोग के जवाब के आधार पर भी 51 प्रतिशत युवाओं ने भी यही माना की बस सेक्स ही प्यार के बंधन को मजबूत नहीं बनाता बल्कि अगर प्यार हो तो सब कुछ अच्छा हो जाता है।
- निष्कर्ष के आधार पर वाई०डी हरिथा और डॉ उमा देवी के सर्वेक्षण के आधार पर शादी से पहले युवाओं को एक साथ रहना 47 प्रतिशत जरूरी है। और हमारे सर्वेक्षण के आधार पर 31 प्रतिशत उत्तरदाता ने यह माना की शादी से पहले एक साथ रहना जरूरी नहीं है।

सुझावः

- युवाओं को विवाह करने के पहले अपने से बड़े या अभिभावक की राय अवश्य जाननी चाहिए। 96 प्रतिशत उत्तरदाता के अनुसार शादी से पहले अभिभावक की राय जाननी चाहिए।
- आजकल पढ़ाई पुरी करते–करते तथा नौकरी ढूंढ़ते–ढूंढ़ते युवाओं की शादी की उम्र निकल जाती है। और वो शादी नहीं कर पातें इसीलिए जब विवाह की सही उम्र हो जाये तो विवाह कर लेनी चाहिए।
- विवाह के बाद पति–पत्नी दोनों को मिल–जुल कर परिवार की देखभाल करनी चाहिए। दोनों को मिल–जुल कर परिवार के खर्चे उठाने चाहिए और घर के कामों में पति को भी हाथ बटाना चाहिए।
- अशिक्षित युवा वर्ग पर भी यह सर्वेक्षण किया जाना चाहिए।

ग्रंथ सूचीः

Bhavana N., Roopa. K.S.(2013). Youth Attitude towards Marriage and Changing Trends in Marriage International journal of science and research vol 4, pp. 677-682.

जैन शोभिता. (1996). भारत में परिवार, विवाह और नातेदारी, रावत पब्लिकेशन, नई दिल्ली, pp. 274-275.

Kanak Y. Rakhee. (2018). Exploring the Attitudes of Young Adults towards Marriage in India, IOSR Journal of Humanities and Social Science, Vol. 23, pp. 25-44.